झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 23.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	**श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0** **श्री जय प्रकाश भाई पटेल स0वि0स0**	गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड मुख्यालय स्थित बसंतराय तालाब में प्रत्येक वर्ष निर्धारित 14 अप्रैल माह को बिसुआ पर्व के अवसर पर करीब 10 राज्यों से सफा होड़ आदिवासी समुदाय एवं हिन्दु समाज के लाखों भक्त जन-श्रद्धालू अपने तीर्थ स्थल में 72 घन्टों से ज्यादा समय तक लगातार पूजा अर्चना करने आते रहे है। विदित हो कि बसंतराय तालाब 52 बीघा क्षेत्रफल में सैकड़ों वर्ष से फैला हुआ है, बताया जाता है कि उक्त तालाब का इतिहास सकन्ध महापुराण जैसे अन्य धर्म ग्रन्थो में भी वर्णित है। वर्त्तमान समय में उक्त तीर्थ स्थल तालाब की स्थिति अत्यंत ही दैयनीय हो गयी है। जिसे प्रखण्ड समेत जिले वासी उक्त तीर्थ स्थल-धरोहर को बचाने की माँग करते आ रहे हैं। अतः सरकार का ध्यान उक्त पर्व के अवसर पर आयोजित मेला का राजकीय मेला घोषित करने की माँग करता हूँ।	**पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य**

01.	02.	03.	04.
02-	डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक- 1617, दिनांक- 17/03/2023 के अनुसार जिलास्तरीय पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर में किए गए संशोधन के अनुसार राज्य के 7 (सात) जिलों खूँटी/ लोहरदगा/ गुमला/ सिमडेगा/ लातेहार/ दुमका एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों में अत्यंत पिछड़ी जातियों/पिछड़ी जातियों का आरक्षण शून्य कर दिया गया है, जिससे इन जिलों के पिछड़ों में आक्रोश व्याप्त है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से जातीय जनगणना सुनिश्चित कराते हुए उपयुक्त 7 (सात) जिलों में पिछड़ों का आरक्षण देने का मांग करता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
03-	सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0	हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखण्ड क्षेत्र में स्थित घाघरा डैम प्राकृतिक सुन्दरता से परिपूर्ण है जहाँ वर्ष भर पर्यटकों का आवागमन जारी रहता है। घाघरा डैम व घाघरा वाटरफॉल का विहंगम दृश्य आस-पास समेत जिलों के लोगों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती है परंतु उक्त डैम के रख-रखाव, सुन्दरीकरण, पहुँच पथ इत्यादि की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सैलानियों व पर्यटकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि घाघरा डैम को पर्यटन स्थल का दर्जा प्रदान कराते हुए सैलानियों व पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाय।	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य
04-	श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0 डॉ नीरा यादव स0वि0स0 श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता स0वि0स0	संयुक्त बिहार में पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, झारखण्ड के लोगों ने सोचा था कि अलग राज्य के बनने से यहाँ पर सुविधा और संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन पिछड़ों का 27% को घटा कर 27 के स्थान पर 14% कर दिया गया यह समाजिक भावनाओं के भी विपरीत है।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
		जिसके कारण **O.B.C.** छात्र/छात्राओं और नौकरी के अभ्यार्थियों का काफी नुकसान पहुँच रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से अवगत करना चाहता हूँ कि सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इसी बजट-सत्र में ही संवैधानिक अड़चनों को दूर करके **O.B.C.** को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर जनता के बीच एक नया संदेश दें इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	
05–	श्री केदार हजरा स0वि0स0	गिरिडीह जिलान्तर्गत, जमुआ विधानसभा क्षेत्र के जमुआ एवं देवरी प्रखण्डों में कही भी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण (ITI) महाविद्यालय नहीं है। जिसके कारण स्थानीय गरीब छात्र/छात्राओं को औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे शिक्षण कार्य से वंचित होना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि दोनों प्रखण्ड मिलाकर करीब 5 लाख की आबादी है। खासकर आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार छात्रों को ऐसी शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से जमुआ विधानसभा के जमुआ प्रखण्ड या देवरी प्रखण्ड में कही भी एक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण (ITI) महाविद्यालय की स्वीकृति देते हुए कार्यान्वित कराने की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

राँची,
दिनांक– 23 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2023–...1532.../वि0 स0, राँची, दिनांक– 22/03/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं सचिव, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/03/2023

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2023–...1532.../वि0 स0, राँची, दिनांक– 22/03/23

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

22/03/2023

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/–

22/03/23